

पत्रांक:- 152 /नियो0-2(एस.डी.आर.एफ.)/2018
सेवा में,

दिनांक 16.02.2019

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
टिहरी / देहरादून / पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण / तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 12 नं० कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या 1763 / XVIII-(2) / 18-12(4) / 2013 टी० सी० दिनांक 03.07.2018।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं बन्द मार्गों को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 16.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचन निधि के कार्यों हेतु निर्धारित मानको के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित 12 नं० आगणनों पर ₹ 93.58 लाख (₹ तिरानवे लाख अठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- (ii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा, जोकि एस०डी०आर०एफ० के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य है।
- (iii) स्वीकृत कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जॉच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iv) इस योजना में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि चयनित कार्यों हेतु अन्य विभागीय योजनाओं अथवा अन्य विभागों के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यदि धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि एस०डी०आर०एफ० मद में प्राप्त आवंटन से व्यय की जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रवृत्ति के पुनर्निर्माण/तात्कालिक कार्यों हेतु उपयोग की जायेगी। नवनिर्माण के कार्यों में विषयक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाय।
- (vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मेनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूल्स-2018 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु है, अतः स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से करते हुए कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(viii) स्वीकृति प्रत्येक किमी. के लिए एस.डी.आर.एफ. हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी की जा रही है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी किमी. में मानक दर से अधिक व्यय न किये जाय।

(ix) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.-02-आपदा राहत निधि से व्यय-00-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड चिन्यालीसौंड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौंड में बन्द हुए विभिन्न मोटर मार्गों को यातायात हेतु खुलवाने का कार्य।	As Per Log Book	19.01
योग जनपद उत्तरकाशी				0.00	19.01
2	टिहरी	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत यातायात खोलने हेतु एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउन्टेड जे.सी.बी.लोडर मशीन द्वारा पीपलडाली एवं काण्डीखाल क्षेत्र के मार्गों में स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	1.89
3	टिहरी	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव-कोटालगांव-चमियाला मोटर मार्ग के किमी० 4.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य।	1.00	2.00
योग जनपद टिहरी				1.00	3.89
4	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड देहरादून	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के पौधा-मेहरकोट मोटर मार्ग के किमी० 01 से 02 में जे.सी. बी. मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	0.48
5	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड देहरादून	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के सेला-खाराखेत मोटर मार्ग के किमी० 01 से 03 में जे.सी. बी. मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	0.48
योग जनपद देहरादून				0.00	0.96
6	पिथौरागढ़	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वर्षाकाल में मार्गों को आपातकाल में यातायात हेतु खोलने के लिए आवश्यकतानुसार प्राईवेट जे.सी.बी. मशीन की आपूर्ति।	As Per Log Book	31.47
योग जनपद पिथौरागढ़				0.00	31.47

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी०	तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
7	बागेश्वर	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वर्षाकाल के दौरान बागेश्वर-बैजनाथ एवं बैजनाथ-ग्वालदम प्रभाग में विभिन्न मोटर मार्गों में जे.सी. बी. मशीन द्वारा मलबा सफाई/यातायात खोलने का कार्य।	As Per Log Book	4.21
योग जनपद बागेश्वर				0.00	4.21
8	अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में विकास खण्ड ताड़ीखेत, तहसील रानीखेत क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे.सी.बी. मशीन द्वारा वर्षाकाल में दिनांक 16.06.2018 से 15.08.2018 तक स्लिप सफाई का कार्य। (मुख्यालय - ताड़ीखेत)	As Per Log Book	3.79
9	अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड सल्ट में विभिन्न मोटर मार्गों को यातायात हेतु खोलने के लिए जे.सी.बी. मशीन किराये पर। (मुख्यालय - मरचूला)	As Per Log Book	13.09
10	अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में विकास खण्ड भिकियासैण तहसील भिकियासैण क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे.सी.बी. मशीन द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 के मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	2.34
11	अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकास खण्ड/तहसील स्याल्दे क्षेत्र में यातायात हेतु विभिन्न मोटर मार्गों को खोलने का कार्य। (दिनांक 15.06.2018 से 30.09.2018 तक)	As Per Log Book	11.49
12	अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में विकास खण्ड भिकियासैण तहसील भिकियासैण क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे.सी.बी. मशीन द्वारा दिनांक 16.08.2018 से 30.09.2018 के मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	3.33
योग जनपद अल्मोड़ा				0.00	34.04
कुल योग				1.00	93.58

1.7
 उपलब्ध की
 18/02/19
 (देवेन्द्र शाह)
 अधिशासी अभियन्ता

(आर.सी.पुरोहित)
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून/पिथौरागढ़/बागेश्वर/अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- II, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम्/अष्टम्/नवम्/तृतीय/सिविल/प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून/पिथौरागढ़/बागेश्वर/अल्मोड़ा।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी/देहरादून/बागेश्वर/रानीखेत/चिन्यालीसौंड/बेरीनाग।
9. अपर सहायक अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आई०टी० हैड, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 15/12/2019